केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029

याचिका सं. 320/टीएल/2024 दिनांक: 11.11.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

सिरोही ट्रांसमिशन लिमिटेड, मार्फत ईडी (टीबीसीबी), पावरग्रिड कॉर्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड, सौदामिनी, प्लॉट नं. 2, सेक्टर–29, गुड़गांव–122001 द्वारा "राजस्थान आरईजेड फेज–IV (पार्ट–2: 5.5 जीडब्ल्यू) (जैसलमेर/बारमेड़ कॉम्प्लेक्स) पार्ट–बी से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" (इसके बाद "पारेषण योजना/परियोजना" के रूप में संदर्भित) के लिए (इसके बाद "पारेषण योजना/परियोजना" के रूप में संदर्भित) के लिए अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है। परियोजना का कार्यक्षेत्र जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्ति की मांग की गई है, निम्नानुसार है:

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से माह में अनुसूचित सीओडी	परियोजना के घटक के अनुसूचित सीओडी पर वसूली योग्य उदधृत पारेषण प्रभारों की प्रतिशतता	वे घटक जो संबंधित घटक के वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) की घोषणा के लिए पूर्वापेक्षित हैं।
1.	2x240 एमवीएआर (765केवी) और 2x125 एमवीएआर (420केवी) बस रिएक्टर सहित सिरोही के निकट उपयुक्त स्थान पर 2x1500 एमवीए, 765/400 केवी सबस्टेशन की स्थापना। • 765/400 केवी, 1500 एमवीए आईसीटी–2नं (एक स्पेयर यूनिट सहित 7x500 एमवीए) • 765केवी आईसीटी बे–2 नं. • 240 एमवीएआर, 765 केवी बस रिएक्टर–2 नं. (एक स्पेयर यूनिट सहित 7x80 एमवीएआर) • 765 केवी बस रिएक्टर बे–2 नं. • 765 केवी लाइन बे–2 नं. [फतेहगढ़–iv (सेक्शन 2) पीएस में डीसी लाइन के लिए] • 400 केवी आईसीटी बे–2 नं. • 400 केवी लाइन बे–2 नं. [चितौड़गढ़ (पीजी) एस/एस में डीसी लाइन के लिए] • 125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर–2 नं. • 400 केवी बस रिएक्टर बे–2 नं **भावी उपबंध:निम्नलिखित के लिए स्थान** • बे सहित 765/400 केवी आईसीटी–4 नं. • बे सहित 765 केवी बस रिएक्टर–1 नं. • स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित 400 केवी लाइन बे–4 नं. • 400 केवी लाइन बे–4 नं. • बे सहित 400 केवी बस रिएक्टर : 1 नं. • 400 केवी सेक्शनलाइजेशन बे : 2 सेट • बे सहित 400/220 केवी आईसीटी–6 नं. • 220 केवी लाइन बे–10 नं. • 220 केवी सेक्शनलाइजेशन बे : 2 सेट • 220 केवी बीसी (3 नं.) और टीबीसी (3 नं.) • एमएससी (4x125 एमवीएआर) सहित स्टेटकॉम (2x±300 एमवीएआर) और 400 केवी बे के 2 नं. सहित एमएसआर (2x125 एमवीएआर)	एसपीवी अधिग्रहण से 24 माह	16.24%	योजना के सभी घटकों को साथ–साथ आरंभ किया जाना अपेक्षित है चूंकि उनका उपयोग एक दूसरे पर आश्रित है।
2.	फतेहगढ़–IV (सेक्शन–2) पीएस – प्रत्येक सिरे पर प्रत्येक सर्किट के लिए 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित सिरोही पीएस 765 केवी डी/सी लाइन • फतेहगढ़–IV (सेक्शन–2) पीएस पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर – 2 नं. • सिरोही पीएस पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर • फतेहगढ़–IV (सेक्शन–2) पीएस पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग उपकरण–2 नं. • सिरोही पीएस पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग उपकरण – 2 नं.		58.41%	
3.	फतेहगढ़–IV (सेक्शन–2) पीएस पर 765 केवी लाइन बे का 2 नं. • फतेहगढ़–IV (सेक्शन–2) पीएस पर 765 केवी लाइन बे – 2 नं.			
4.	सिरोही पीएस सिरे पर प्रत्येक सर्किट के लिए 80 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित सिरोही पीएस–चितौड़गढ़ (पीजी) 400 केवी डी/सी लाइन (क्वेड) • सिरोही पीएस पर 420 केवी, 80 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर–2 नं. • सिरोही पीएस पर 420 केवी, 80 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग उपकरण – 2 नं.		25.35%	
5.	चितौड़गढ़ (पीजी) एस/एस पर 400 केवी लाइन बे का 2 नं. • चितौड़गढ़ (पीजी) एस/एस पर 400 केवी लाइन बे – 2 नं.			

नोट:

i) पावरग्रिड चितौड़गढ़ (पीजी) पर 400 केवी लाइन बे के 2 नं के लिए स्थान प्रदान करेगा।

ii) फतेहगढ़–IV एस/एस (सेक्शन–2) का विकासकर्ता स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्थान सहित फतेहगढ़–IV (सेक्शन–2) पीएस पर 765 केवी लाइन बे के 2 नं के लिए स्थान प्रदान करेगा।

iii) स्विचेबल लाइन रिएक्टर एनजीआर बाईपास व्यवस्था के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 9.9.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली को स्थापित करने के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 320/टीएल/2024 में दिनांक 11.11.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
4. **सिरोही ट्रांसमिशन लिमिटेड** को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंधों एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का पालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा(5) के खंड(क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 26.11.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आयोग द्वारा दिनांक 18.11.2024 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव